मध्यप्रदेश ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण

(म.प्र.शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के अधीन)
खण्ड–2, पंचम तल, पर्यावास भवन, अरेरा हिल्स भोपाल

क्र.14734 / 22 / वि–12 / ग्रासप्रा / 17 भोपाल दिनांक 14 / 06 / 17

प्रति

महाप्रबंधक (समस्त),
म.प्र. ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण,
परियोजना क्रियान्वयन इकाई,
.... (म.प्र.)

विषय :– लोक निर्माण विभाग द्वारा MDR घोषित मार्गों के संधारण के संबंध में।

—0—

लोक निर्माण विभाग द्वारा MDR घोषित किये गये मागो के एकरेखण में आ रहे PMGSY मार्गों की जानकारी आपके द्वारा भेजे गये विवरण के आधार पर संकलित की जा रही है। प्रथमदृष्टया 7538 कि.मी. घोषित MDR के एकरेखण में कुल 2661 कि.मी. लंबाई के PMGSY मार्ग आ रहे हैं। इन मार्गों के संधारण के संबंध मे दिनांक 13 / 06 / 2017 को महाप्रबंधकों की मुख्यालय में सम्पन्न हुई बैठक के दौरान चर्चा की गई एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी द्वारा MDR के एकरेखण में आ रहे PMGSY मार्गों के संधारण के संबंध में स्पष्टता की गई।

पूर्व में इस कार्यालय के पत्र क्रमांक 8047 दिनांक 16 / 03 / 2017 द्वारा यह निर्देशित किया गया था कि जिन मार्गों में लोक निर्माण विभाग द्वारा कार्य प्रारंभ करने में विलम्ब संभावित है उनका संधारण प्राधिकरण द्वारा कराया जावेगा। पूर्व में जारी निर्देशों को अधिक्रमित करते हुये निम्नानुसार निर्देश जारी किये जाते हैं:–

1. **Within 5 Year** - MDR के एकरेखण में आ रहे ऐसे मार्ग जो 5 वर्ष की संधारण अवधि में हैं, ऐसी सड़कों की संधारण अवधि समाप्त होने तक अथवा लोक निर्माण को हस्तातंरित करने की दिनांक तक जो भी पहले हो, तक संधारण सुनिश्चित किया जावें। ऐसी सड़कों की Performance Security विमुक्त करने के पूर्व मुख्यालय के निर्देश पत्र क्र.11165 दिनांक 26 / 04 / 2017 में दिये निर्देशों का पालन सुनिश्चित किया जावे।

2- **Post 5 Year & Post 10 Year** - MDR के एकरेखण में आ रहे ऐसे मार्ग जो Post 5 Year & Post 10 Year अंतर्गत संधारण अवधि में हैं, ऐसी सड़कों की संधारण अवधि समाप्त होने तक अथवा लोक निर्माण को हस्तातंरित करने की दिनांक, जो भी पहले हो तक अनुबंध के अनुसार संधारण सुनिश्चित किया जावें।

यदि उपरोक्त सड़कों पर संधारण के अंतर्गत रिन्यूवल कार्य किया जाना आवश्यक हो तो संबंधित कार्यपालन यंत्री लोक निर्माण विभाग से अभिस्वीकृति प्राप्त करें, जिसमें यह उल्लेख हो कि उक्त पहुंच मार्ग पर आगामी 3 वर्षो के अंदर, लोक निर्माण विभाग द्वारा निर्माण ऐजेंसी नियत किया जाना संभावित नही है।

ऐसी सड़कों की Performance Security विमुक्त करने के पूर्व मुख्यालय के निर्देश पत्र क्र.11165 दिनांक 26/04/2017 में दिये निर्देशों का पालन सुनिश्चित किया जावें।

3. **MDR के एकरेखण में आ रहे ऐसे मार्ग जिन पर वर्तमान मे कोई संधारण ऐजेंसी नही हैं, ऐसे मार्गो के संधारण हेतु आगामी संधारण ऐजेंसी नियुक्त किया जाना आगामी आदेश तक स्थगित रखा जावें तथा इस संबंध में लोक निर्माण विभाग के संबंधित संभाग को लिखित में सूचना दी जाये।**

(मुख्य कार्यपालन अधिकारी द्वारा अनुमोदित)

(एम.के.गुप्ता)
प्रमुख अभियंता
म.प्र. ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण,
भोपाल

पृ. क्र. 14735/22/वि–12/ग्रासप्रा/17 भोपाल दिनांक 14/06/17

प्रतिलिपि–

- प्रमुख अभियंता, लोक निर्माण विभाग, प्लाट नं. 27/28, First Floor निर्माण भवन, अरेरा हिल्स भोपाल की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यकत कार्यवाही हेतु प्रेषित।
- मुख्य महाप्रबंधक – संभाग रीवा/जबलपुर/इंदौर/ग्वालियर/नर्मदापुरम/भोपाल, म.प्र. ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु।
- मुख्य अभियंता, केपीटल जोन भोपाल/नेशनल हाइवे जोन भोपाल/ सेन्ट्रल जोन जबलपुर/नार्थ जोन ग्वालियर/वेस्ट जोन इंदौर/ जोन रीवा /जोन उज्जैन/जोन सागर/ लोक निर्माण विभाग की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

प्रमुख अभियंता
म.प्र. ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण,
भोपाल